निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 49 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा के माह 11/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 19/09/2018 से 22/09/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई के गठन के पश्चात् प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** अधीनस्थ खण्डो के कार्यो का निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण, क्षेत्र- लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा; लघु डाल खण्ड, पिथोरागढ़ एवं नलकूप खण्ड, रामनगर का कार्यक्षेत्र ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2016-17	-	-	355383.00	355383.00	-	-	-	-
2017-18	-	-	1984313.00	1984313.00	-	-	-	-
2018-19 (up to 08/2018)	-	-	2796000.00	1517036.00	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2016-17	NIL		NIL			
2017-18	NIL		NIL			
2018-19	NIL		NIL			

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

––मुख्य अभियन्ता (यॉ), देहरादून (स्तर–2),

–– अधीक्षण अभियन्ता (यॉ), नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा,

––(1)लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा, (2)लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ़,

(3) नलकूप खण्ड, रामनगर,

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 एवं 08/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। -- NA-का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर–1 अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण नही किया जाना।

मैनुअल सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड में प्राविधानित है कि विभाग की प्रशासनिक इकाई मण्डल है, अधीक्षण अभियन्ता , मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के प्रति प्रशासन तथा उनके अधीनस्थ मण्डलों में कार्यरत अधिकारियों के नियंत्रण में सामान्य विभागीय कार्यो के लिये उत्तरदायी हैं। अधीक्षण अभियन्ता अपने मण्डल के विभिन्न कार्यो की स्थिति का निरीक्षण करेंगे तथा इस बारे में स्वयं की संतुष्टि करेंगे कि प्रबन्ध की वर्तमान व्यवस्था दक्ष तथा मितव्ययी है, कि भण्डार में विभिन्न वस्तुयें स्थापित नियमों के अनुरूप सत्यापित है तथा किसी खण्ड के भण्डार में आवश्यकता से अधिक भंडारण नही हैं। अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीन खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण भी वर्ष में न्यूनतम एक बार अवश्य करेंगे जिससे कि उनके समस्त मण्डल में लेखा का रखरखाव उचित प्रकार से किया जा रहा है तथा अपने निरीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के सूचनार्थ भी भेजेगें।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा के अभिलेखो की नमूना जॉच (माह 09/2018) में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्तानलकूप मण्डल अल्मोड़ा कार्यालय की स्थापना 09/2016 में हुयी थी। मैनुअल सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के उक्त प्राविधानानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अपने अधीन खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में न्यूनतम एक बार अवश्य करना चाहिये परन्तु मण्डल कार्यालय गठन से लेखापरीक्षा तिथि (09/2018) तक अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण नही किया गया था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा के पास नलकूप खण्ड, रामनगर व लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा का भी कार्य भार है तथा मण्डल में कर्मचारियों की कमी होने के कारण अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण नही हो सका। निकट भविष्य में अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि मण्डल कार्यालय गठन से आतिथि (09/2018) तक अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण नही किया गया था।

अतः मण्डल कार्यालय गठन से आतिथि तक अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1 – लागत रू0 9.12 लाख की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को विगत 10 वर्षो से (वर्ष 2007–08 से) परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नही किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच (माह 09/2018) में पाया गया कि नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा के अन्तर्गत लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा संचालित तीन लिफ्ट सिंचाई योजना वर्ष 2007–08 से कमाण्ड एरिया में आबादी क्षेत्र हो जाने के कारण विभाग द्वारा परित्याग के लिये प्रस्तावित किया गया परन्तु आतिथि तक (09/2018तक) योजनाओं को परित्याग करने की स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण तीनों योजनायें निष्प्रयोज्य रूप से स्थापित स्थान पर पड़ी थी जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	विकासखण्ड का नाम	खण्ड का नाम	लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम	निर्माण वर्ष	परित्याग योग्य होने का वर्ष	सी0सी0ए0 (है0)	नहर की लम्बाई (किमी0)	योजना की लागत (रू0 लाख में)
1.	बागेश्वर	लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़	बागेश्वर	56–57	2007–08	6.00	0.400	0.17
2.	बागेश्वर	लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़	मजियाखेत	91–92	2007–08	16.00	1.550	3.67
3.	बागेश्वर	लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़	कठयातवाडा	91–92	2007–08	16.00	1.300	5.28
		योग				**38.00**	**3.250**	**9.12**

यह भी उल्लेखनीय है कि पम्प नहरों बागेश्वर लिफ्ट, मजियाखेत, कठायतवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के परित्याग हेतु संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 14.07.2009 को किया गया। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी, बागेश्वर (संख्या/स्मार/एस0टी0/कैम्प/2009

दिनांक 20 जुलाई, 2009) द्वारा भी सिंचाई विभाग के उक्त योजनाओं के परित्याग के प्रस्ताव को उचित माना गया था एवं इसके सम्बन्ध में सिंचाई विभााग को अपने स्तर से कार्यवाही करने के लिये अवगत कराया गया, परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करतें हुये अवगत कराया गया कि सिंचाई योजनाओं के परित्याग की कार्यवाही खण्डीय स्तर से पूर्ण कर अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1413/ल डा न ख अ/पी–2 दिनांक 11.08.2009 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर पर अग्रसारित कर दी गई थी परन्तु शासनादेश न हो पाने के कारण आतिथि तक उक्त योजनाओं का परित्याग नही किया गया है, परित्याग के लिये पुनः स्वीकृत करवाने के प्रयास किये जायेगे। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है क्योंकि योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 10 वर्षो उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 09/2018) तक योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था और इस सन्दर्भ में इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नही किये गये थे।

अतः लागत रू0 9.12 लाख की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को विगत 10 वर्षो से (वर्ष 2007–08 से) परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी योजनाओं का परित्याग नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा)			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा)

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ातथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) .....

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0 नाम पदनाम

(1) श्री नरेन्द्र सिंह देउपा अधीक्षण अभियन्ता (16.09.2016 से 31.05.2017 तक)

(2) श्री संजय कुशवाहा अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी) (01.06.2017 से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. – NA --

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- 2